रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन)-128/90

REGISTERED NO. D. (D.N.)-128/90

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 24, 1990/फाल्गुन 5, 1911
No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 24, 1990/PHALGUNA 5, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

(संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं

Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1990

आ०अ० 9 —जून, 1988 में हुए गुजरात विधान सभा के लिए उप-निर्वाचन में 31-द्वारका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री गोजिया खिमा देव, निवासी पंच बंगला रोड, बर्दन वाला बंगला के समीप, जामनगर 361001 (गुजरात) को निर्वाचन आयोग द्वारा अपने तारीख 7 अप्रैल, 1989 के आदेश संख्या 76-गुजरात-वि.स./31/88 (1-6) (वि.स.) के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहने के कारण, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अधीन निरर्हित किया गया था।

उक्त श्री गोजिया खिमा देव ने भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष एक अर्जी दाखिल की, जिसमें विधि के द्वारा अपेक्षित व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहने के कारण बताते हुए उन पर अधिरोपित निरर्हता हटाने की प्रार्थना की है;

और, भारत निर्वाचन आयोग ने उनकी उक्त अर्जी पर विचार किया है।

अतः, अब साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 21 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस बारे में इसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग श्री गोजिया खिमा देव पर अधिरोपित निरर्हता को तारीख 29 जनवरी, 1990 से अर्थात् इस आदेश के जारी होने की तारीख से हटाता है।

[संख्या 76/गुज०-वि०स०/31/88(उप)]
आदेश से
ट. ... सिघल, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA
ORDER

New Delhi, the 29th January, 1990

O.N. 9.—Whereas Shri Gojiya Khima Deva resident of Panch Bunglow Road, Near Bardanwala Bunglow, Jamnagar—361001 (Gujarat) a contesting candidate for the Bye election to the Gujarat Legislative Assembly from 31-Dwarka Assembly Constituency held in June, 1988, was disqualified by the Election Commission of India vide its Order No. 76|GJ-LA|31|88, (1-6) (LA), dated 7th April, 1989 under section 10-A of the Representation of the People Act 1951, for failure to lodge any account of his election expenses as required by the said Act and Rules made thereunder ;

And whereas, the said Shri Gojiya Khima Deva submitted a petition before the Election Commission of India for re-

moval of disqualification imposed on him, giving reasons for his failure to lodge the account as required by law ;

And whereas, the Election Commission of India has taken into account the said petition filed by him ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 11 of the said Act, read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897, and all other powers enabling it in this behalf, the Election Commission of India hereby removes the disqualification of Shri Gojiya Khima Deva with effect from 29th January, 1990 i.e. from the date of issue of this order.

[No. 76/GJ-LA/31/88 (Bye)]

By Order,

T. C. SINGHAL, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1990

आ० अ० 10—मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए मार्च, 1985 में हुए साधारण निर्वाचन में 157-नारायणपुर (अ.ज.जा.) सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित लड़ने वाले एक अभ्यर्थी श्री शम्भुनाथ नायक, ग्राम आकमेटा, पो० बान्दे (पी०बी० नं० 12), तह० नारायणपुर जिला बस्तर (मध्य प्रदेश) को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अधीन आयोग के तारीख 9 फरवरी, 1987 के आदेश सं० 76/म०प्र०-वि०स०/85(13) द्वारा निरर्हित कर दिया गया था;

और, उक्त श्री शम्भुनाथ नायक ने उस पर लगाई गई निरर्हता को हटाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के सम्मुख एक अभ्यावेदन दाखिल किया है जिसमें विधि द्वारा अपेक्षित लेखा दाखिल करने में असफल रहने के कारण भी दिए गए हैं;

और, भारत निर्वाचन आयोग ने उसके द्वारा दाखिल उक्त अर्जी पर विचार कर लिया है;

अतः, अब साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 21 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा इस संबंध में उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग श्री शम्भुनाथ नायक की निरर्हता को तारीख 29 जनवरी, 1990 से हटाता है।

[सं० म०प्र०-वि०स०/157/85]

आदेश से,

बलवन्त सिंह, सचिव

ORDER

New Delhi, the 29th January, 1990

O.N. 10.—Whereas Shri Shambhu Nath Nayak, Vill Aakmeta, Post. Bande (P. B. No 12) Teh. Narayanpur, District Bastar (Madhya Pradesh) a contesting candidate for the General Election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly from 157-Narayanpur (ST) assembly constituency held in March, 1985, was disqualified by the Election Commission of India vide its order No. 76/MP-LA/85 (13), dated the 9th February, 1987, under section 10-A of the Representation of the People Act, 1951, for failing to lodge any account of his election expenses as required by the said Act and Rules made thereunder :

And whereas, the said Shri Shambhu Nath Nayak had submitted a representation before the Election Commission of India for removal of disqualification imposed on him, giving reasons for his failure to lodge the account as required by law ;

And whereas, the Election Commission of India has taken into account the said petition filed by him :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 11 of the said Act, read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897, and all other powers enabling it in this behalf, the Election Commission of India hereby removes the disqualification of Shri Shambhu Nath Nayak with effect from 29th January, 1990.

[No. MP-LA/157/85]

By Order,

BALWANT SINGH, Secy

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1990

आ० अ० 11—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, दमण और दीव प्रशासन के परामर्श से श्री एन०, राजाशेखर, आई. ए. एस. के स्थान पर श्री के. एम. साहनी, आई. ए. एस., मुख्य सचिव, संघ राज्य-क्षेत्र दमण और दीव, को उनके कार्यभार सम्भालने की तारीख से अलग आदेशों तक दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में एतद्द्वारा नामनिर्देशित करता है।

[सं 154 दमण व दीव/89]

आदेश से,

के. पी. जी. कुट्टी, सचिव

New Delhi, the 30th January, 1990

O.N. 11.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13-A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Administration of Union Territory of Daman & Diu hereby nominates Shri K. M. Sahni, IAS, Chief Secretary as the Chief Electoral Officer for the Union Territory of Daman & Diu with effect from the date he takes over charge and until further order vice Shri N. Rajasekhar, IAS.

[No. 154/D&D/89]

By Order,

K. P. G. KUTTY, Secy.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990